



Haryana Industrial Training Directorate,
Headquarters: Chandigarh
30 Bays Building, Sector 17, Chandigarh

कोर्ट केस

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
नारनौल।

यादी क्रमांक: टीई/ससिविल सूट/अजय/प्रशा0-III/4074
दिनांक: 18/7/16


विषय: सी0डब्ल्यू0पी0 नं0 13509 आफ 2016 मे दिनांक 13.7.2016 को हुये निर्णय बारे।
.....

उपरोक्त विषय के संदर्भ मे।

सूचित किया जाता है कि श्री अजय कुमार, वायरमैन अनुदेशक ने माननीय उच्च न्यायालय मे सी0डब्ल्यू0पी0 नं0 13509 आफ 2016 अजय कुमार वर्सिज स्टेट आफ हरियाणा दायर की है, जिसमे माननीय कोर्ट द्वारा दिनांक 13.7.2016 (प्रति संलग्न) अनुसार कर्मचारी के स्थानांतरण आदेशों को आगामी आदेशो तक स्टे कर दिया है।


अतः आपको निर्देश दिये जाते है कि माननीय कोर्ट के आदेशों की अनुपालना करते हुये कर्मचारी को पुनः कार्यग्रहण करवाते हुये, कार्यग्रहण रिपोर्ट निदेशालय पर तुरन्त भिजवाना सुनिश्चित करे।

संलग्न: उपरोक्त।


18/7/16
सहायक निदेशक (स्थापना-III)
कृते निदेशक औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।

पृ0 क्रमांक: टीई/ससिविल सूट/अजय/प्रशा0-III/4075 दिनांक: 18/7/16

उपरोक्त की एक प्रति श्री अजय यादव सपुत्र स्व0 श्री किशन लाल, वायरमैन अनुदेशक, राजकीय आई0टी0आई0 नारनौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।


18/7/16
सहायक निदेशक (स्थापना-III)
कृते निदेशक औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।

CC: सहायक निदेशक विभाग, नारनौल।